

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या - 09/2018

कालीचरण महतो वो0 बनाम नरेश मोदी एवं अन्य

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

23-04-2022

आदेश

यह वाद आवेदकगण कालीचरण महतो एवं अन्य ग्राम बारलौंग थाना रजरप्पा जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या 04/2015-16 नरेश मोदी वो0 बनाम राज्य में दिनांक 08.06.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 16 Bihar Tenants holding (Maintanance of record) Act- 1973 के तहत रिविजन दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्षों द्वारा दायर आवेदन, कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि का मामला दाखिल खारिज रिविजन से संबंधित नहीं है। जिस कारण यह वाद पोषणीय नहीं है।

अतः इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

साधवी शिथ्रा
23-04-2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

साधवी शिथ्रा
23-04-2022
उपायुक्त,
रामगढ़।